



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122022-241357
CG-DL-E-23122022-241357

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 802]
No. 802]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 23, 2022/पौष 2, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 23, 2022/ PAUSA 2, 1944

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 899 (अ).—केंद्र सरकार स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) के तहत, धारा 52क के साथ पठित, धारा 76; द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा:-

अध्याय 1
प्रारंभ

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इन नियमों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (जब्ती, भंडारण, नमूनाकरण और निपटान) नियम, 2022 कहा जा सकता है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) "अधिनियम" का अर्थ है स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61);
- (ख) "कंटेनर" का अर्थ है कोई पोर्टेबल पात्र जिसमें आवाजाही की सुविधा के लिए मादक दवाओं, मनःप्रभावी पदार्थों और नियंत्रित पदार्थों को रखा जाता है;
- (ग) "फॉर्म" का मतलब इन नियमों से जुड़े फॉर्म हैं;
- (घ) "मजिस्ट्रेट" का अर्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट है;
- (ङ) "पैकेज" का अर्थ है स्वापक औषधियां, मनःप्रभावी पदार्थ और नियंत्रित पदार्थ जो कागज या डिब्बे में ढके होते हैं।

(2) यहां प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां परिभाषित नहीं हैं, लेकिन अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम में उन्हें दिए गए हैं।

अध्याय II

जब्त सामग्री की जब्ती और भंडारण

3. जब्त सामग्री का वर्गीकरण —(1) इस अधिनियम के तहत जब्त की गई मादक दवाओं, मनःप्रभावी पदार्थों और नियंत्रित पदार्थों को भौतिक गुणों और ड्रग डिटेक्शन किट के परिणामों के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा, यदि कोई हो, और अलग से तौला जाएगा।

(2) यदि मादक द्रव्य, मनःप्रभावी पदार्थ और नियंत्रित पदार्थ पैकेज या कंटेनरों में पाए जाते हैं, तो पहचान के प्रयोजन के लिए ऐसे पैकेजों और कंटेनरों को अलग-अलग तौला जाएगा और क्रमानुसार संख्यांकित किया जाएगा।

(3) खुले रूप में पाई जाने वाली सभी स्वापक औषधियां, मनःप्रभावी पदार्थ और नियंत्रित पदार्थ टैम्पर प्रूफ बैग या कंटेनर में पैक किए जाएंगे, जिन पर क्रमानुसार संख्यांकित और वजन किया जाएगा और उन पर दवाओं का विवरण और इस तरह के बैग या कंटेनर पर जब्ती की तारीख का भी उल्लेख किया जाएगा:

बशर्ते कि भारी मात्रा में गांजा, पोस्ता भूसा बोरियों में पैक किया जा सकता है और इस तरह से सील किया जा सकता है इस प्रकार निम्न के साथ छेड़-छाड़ नहीं किया जा सकता है:

बशर्ते आगे कि जब्त की गई छुपाने वाली सामग्री जैसे ट्रॉली बैग, बैकपैक और अन्य जब्त वस्तुओं को अलग से सील किया जाएगा।

(4) इस उपनियम में निर्दिष्ट वर्गीकरण, तोल, पैकेजिंग और संख्यांकन साक्षियों (पंचों) और उस व्यक्ति की उपस्थिति में किया जाएगा जिसके कब्जे से नशीले पदार्थ और पदार्थ बरामद किए गए थे और जब्ती की जगह पर बने पंचनामे में इस आशय का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

(5) पैकेजों, कंटेनरों, वाहनों और अन्य जब्त वस्तुओं की विस्तृत सूची तैयार की जाएगी और पंचनामा के साथ संलग्न की जाएगी।

4. गोदामों का पदनाम—(1) इस अधिनियम के तहत जब्त किए गए मादक पदार्थों, मनःप्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों, वाहन और अन्य वस्तुओं के भंडारण के लिए गोदामों को नामित किया जाएगा, -

- (क) केंद्र सरकार के विभाग और एजेंसियां जिनके अधिकारियों को इस अधिनियम की धारा 53 के तहत एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं;
- (ख) राज्य पुलिस और राज्य सरकार के विभाग और एजेंसियां जिनके अधिकारियों को अधिनियम की धारा 53 के तहत एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट गोदामों की पहचान सुरक्षा पहलू और कानून की तुलना को ध्यान में रखते हुए की जाएगी और ऐसे गोदामों को समग्र पर्यवेक्षण और प्रभार उप-नियम (1) में निर्दिष्ट विभाग और एजेंसियाँ के राजपत्र रैंक के अधिकारी के अधीन रखा जाएगा।

5. गोदामों में जमा - (1) नियम 3 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सभी जब्त सामग्री, अधिनियम के तहत जब्ती के बाद जब्ती अधिकारी द्वारा नियम 4 के तहत नामित निकटतम गोदाम में फॉर्म-1 में एक अग्रेषण ज्ञापन के साथ जब्ती के समय से अड़तालीस घंटे के भीतर जमा की जाएगी:

बशर्ते कि अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (3) के तहत जब्त की गई सामग्री को जिस अधिकारी को अग्रेषित किया गया है, उसके द्वारा उचित औचित्य प्रदान करने के बाद उक्त समय अवधि में और चौबीस घंटे की छूट दी जा सकती है।

(2) गोदाम का प्रभारी अधिकारी फॉर्म-2 में रसीद की पावती देने से पूर्व स्वयं को संतुष्ट करेगा कि जब्त की गई सामग्री उचित रूप से पैक, सीलबंद और फॉर्म-1 में वर्णित विवरण के अनुरूप है।

(3) अधिकारी, जिसने सामग्री को जब्त किया था, आगे की कार्यवाही के लिए जांच अधिकारी को जब्ती से संबंधित अन्य सभी दस्तावेजों के साथ जब्त सामग्री की प्राप्ति की पावती फॉर्म-2 में सौंपेगा।

6. जब्त सामग्री का गोदाम में भंडारण - (1) जब्त सामग्री की प्राप्ति के बाद, गोदाम के प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जब्त सामग्री को त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए मामले के अनुसार ठीक से व्यवस्थित किया गया है।

(2) गोदाम का प्रभारी अधिकारी फॉर्म-3 में गोदाम में प्राप्त सामग्री का एक रजिस्टर का रख-रखाव करेगा।

(3) सभी जब्त सामग्री, वाहनों को छोड़कर, डबल लॉक के साथ तिजोरियों और वाल्टों में संग्रहित की जाएगी।

7. गोदाम का निरीक्षण - (1) नियम 4 में निर्दिष्ट विभाग तथा एजेंसियाँ और राज्य पुलिस प्रत्येक गोदाम के लिए एक निरीक्षण अधिकारी नामित करेगी, जो गोदाम के प्रभारी अधिकारी के पद से ऊपर होगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट निरीक्षण अधिकारी प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार गोदाम का आवधिक निरीक्षण करेगा एवं जब्त सामग्री की सुरक्षा, संरक्षा एवं शीघ्र निपटान के संबंध में फॉर्म-3 में गोदाम रजिस्टर में अपनी अभ्युक्ति दर्ज करेगा।

(3) नियम 4 में निर्दिष्ट विभाग और एजेंसियाँ और इस अधिनियम के तहत राज्य पुलिस जब्त सामग्री की सुरक्षित प्राप्ति, जमा, भंडारण, लेखा और निपटान की निगरानी के लिए आवधिक रिपोर्ट और रिटर्न बनाए रखेंगे।

अध्याय III

नमूना

8. मजिस्ट्रेट को आवेदन - इस अधिनियम के तहत जब्त की गई सामग्री को निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी या इस अधिनियम की धारा 53 के तहत अधिकार प्राप्त अधिकारी को भेजे जाने के बाद या यदि इसे ऐसे अधिकारी द्वारा स्वयं जब्त किया जाता है, तो वह फॉर्म -4 में ऐसी मालों की एक सूची तैयार करेगा, अधिनियम की धारा 52क की उप धारा (2) के अधीन फॉर्म-5 में यथाशीघ्र मजिस्ट्रेट को आवेदन करेगा।

9. मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नमूने लिए जाएंगे - इस अधिनियम की धारा 52क की उप-धारा (2) के तहत मजिस्ट्रेट को आवेदन किए जाने के बाद, जांच अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि जब्त सामग्री के नमूने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लिए गए हैं और उक्त-उप-धारा के प्रावधानों के अनुसार इसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

10. नमूने लेना - (1) जब्त किए गए प्रत्येक पैकेज और कंटेनर से दो प्रतियों में एक नमूना लिया जाएगा।

(2) जब जब्त किए गए पैकेज और कंटेनर एक साथ समान आकार और वजन वाले समान अंकन के होते हैं और प्रत्येक पैकेज की सामग्री ड्रग पहचान किट द्वारा रंग परीक्षण पर समान परिणाम देती है, यह दर्शाता है कि पैकेज सभी प्रकार से समान हैं, पैकेज और कंटेनर दस पैकेज या कंटेनर से अधिक के ढेरों में सावधानी से बंध किए जा सकते हैं, और ऐसे प्रत्येक पैकेज और कंटेनर के लिए, दो प्रतियों में एक नमूना लिया जाएगा:

बशर्ते कि गांजा, पोस्त पुआल और हशीश (चरस) के मामले में इसे चालीस से अधिक पैकेज या कंटेनरों में नहीं रखा जा सकता है।

(3) किसी विशेष लॉट से नमूना लेने के मामले में, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उस लॉट के प्रत्येक पैकेज या कंटेनर से समान मात्रा में प्रतिनिधात्मक नमूना लिया जाता है और एक साथ मिश्रित करके एक समग्र मिश्रण बनाया जाता है जिससे उस लॉट के लिए नमूने लिए जाते हैं।

11. नमूने के लिए निकाली जाने वाली मात्रा - (1) अफीम, गांजा और चरस (हशीश) के मामलों को छोड़कर, जहां प्रत्येक नमूने के लिए कम से कम चौबीस ग्राम की मात्रा निकाली जाएगी, अन्य सभी मामलों में प्रत्येक नमूने के लिए कम से कम पांच ग्राम की मात्रा निकाली जाएगी और डुप्लीकेट सैंपल के लिए उतनी ही मात्रा ली जाएगी।

(2) दो प्रतियों में नमूना लेने से पहले पैकेजों या कंटेनरों में अभिगृहीत पदार्थों को सजातीय और प्रतिनिधात्मक बनाने के लिए अच्छी तरह मिश्रित किया जाएगा।

(3) यदि जब्त की गई मात्रा नमूना लेने के लिए आवश्यक मात्रा से कम है, तो जब्त की गई पूरी मात्रा भेजी जा सकती है।

12. नमूनों का भंडारण - (1) प्रत्येक नमूने को ताप-अवरोधी प्लास्टिक की थैलियों या ऊष्मा प्रतिरोधी कांच की बोतल या उपकरण में रखा जाएगा, जिसे एक कागज के लिफाफे में रखा जाएगा, ठीक से सील किया जाएगा और जैसा भी मामला हो, मूल या डुप्लीकेट के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

(2) कागज के लिफाफे पर उस पैकेज या कंटेनर की संबंधित क्रम संख्या भी होगी जिससे नमूना लिया गया था।

(3) डुप्लीकेट नमूने वाले लिफाफे में परीक्षण मेमो का संदर्भ भी होगा और इसे दूसरे लिफाफे में रखा जाएगा, सीलबंद और 'गुप्त-दवा नमूना/परीक्षण ज्ञापन' चिह्नित किया जाएगा, जिसे रासायनिक विश्लेषण के लिए निर्दिष्ट प्रयोगशाला में भेजा जाएगा।

13. परीक्षण के लिए नमूने का प्रेषण - (1) मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किए जाने के बाद नमूने बिना किसी रासायनिक विश्लेषण के सीधे केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला या राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, जैसा भी मामला हो, बिना किसी विलंब की अधिकार क्षेत्र वाले प्रयोगशालाओं में से किसी एक को भेजे जाएंगे।

(2) जब्त औषधियों या पदार्थों के नमूने टेस्ट मेमो की आड़ में क्षेत्राधिकार वाले प्रयोगशालाओं को भिजवाये जायेंगे, जो फॉर्म-6 में तीन प्रतियों में तैयार किये जायेंगे।

(3) टेस्ट मेमो के मूल और डुप्लीकेट को नमूनों के साथ क्षेत्राधिकार वाले प्रयोगशाला को भेजा जाएगा और तीन प्रतियां जब्ती अधिकारी की केस फाइल में रखी जाएंगी।

14. शीघ्र परीक्षण.- रासायनिक प्रयोगशाला नमूना प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट जांच अधिकारी को एक प्रति के साथ मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत करेगी।

बशर्ते कि जहां मात्रात्मक विश्लेषण के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, गुणात्मक परीक्षण के परिणाम टेस्ट मेमो की मूल प्रति पर उक्त समय सीमा के भीतर जांच अधिकारी को एक प्रति के साथ मजिस्ट्रेट की अदालत में भेजे

जाएंगे और अगले पंद्रह दिनों में परिणाम मात्रात्मक परीक्षण की संख्या भी डुप्लिकेट टेस्ट मेमो पर इंगित की जाएगी और जांच अधिकारी को एक प्रति के साथ मजिस्ट्रेट की अदालत में भेजी जाएगी।

15. डुप्लिकेट नमूना और नमूने के अवशेष - (1) नमूनों के अवशेषों को परीक्षण मेमो के संदर्भ में उस कार्यालय को लौटा दिया जाएगा जहां से वे प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण के बाद तीन महीने के भीतर प्राप्त हुए थे।

(2) मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा परीक्षण रिपोर्ट की स्वीकृति के तुरंत बाद, जांच अधिकारी द्वारा धारित नमूना की दूसरी प्रति नमूने के अवशेषों के साथ नियम 5 में निर्दिष्ट गोदाम में जमा की जाएगी।

अध्याय IV

निपटान

16. मर्दे जिनका निपटान किया जा सकता है - खतरनाक प्रकृति, चोरी की भेद्यता, प्रतिस्थापन और उचित भंडारण स्थान की बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, सभी मादक दवाओं, मनःप्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों और वाहनों को जब्ती के बाद जितनी जल्दी हो सके, अधिनियम की धारा 52क के तहत निर्धारित तरीके से निपटाया जाएगा।

17. अधिकारी जो निस्तारण हेतु कार्यवाही प्रारम्भ करेंगे - किसी पुलिस स्टेशन का कोई भी प्रभारी अधिकारी या इस अधिनियम की धारा 53 के तहत अधिकृत कोई भी अधिकारी रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इस अधिनियम की धारा 52क के तहत मादक दवाओं, मनःप्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या वाहनों के निपटान के लिए कार्रवाई शुरू करेगा।

18. मजिस्ट्रेट को आवेदन - (1) अधिनियम की धारा 53 के तहत अधिकार प्राप्त अधिकारी या यदि सामग्री को ऐसे अधिकारी द्वारा स्वयं जब्त किया जाता है, तो वह अधिनियम की धारा 52क की उप-धारा (3) के तहत आवेदन को जल्द से जल्द अनुमति देने के लिए अधिनियम की धारा 52 क की उप-धारा (2) के तहत मजिस्ट्रेट को फॉर्म -5 में आवेदन करेगा।

(2) मजिस्ट्रेट द्वारा इस अधिनियम की धारा 52क की उप-धारा (3) के तहत आवेदन की अनुमति देने के बाद, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में प्रमाणित सूची, फोटोग्राफ और नमूने को संरक्षित करेगा, ऐसे मामले के लिए प्राथमिक साक्ष्य के रूप में और जब्त की गई सामग्री का विवरण ड्रग डिस्पोजल कमेटी के अध्यक्ष को निपटान पर समिति द्वारा निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत करेगा, और उक्त अधिकारी जब्त सामग्री के साथ विवरण की एक प्रति गोदाम का प्रभारी अधिकारी को भी भेजेगा।

19. ड्रग डिस्पोजल कमेटी.- प्रत्येक केंद्रीय दवा कानून प्रवर्तन एजेंसी और राज्य ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसी के विभाग प्रमुख तीन सदस्यों वाली एक या एक से अधिक ड्रग निपटान समिति का गठन करेंगे, जिसका नेतृत्व एक अधिकारी करेगा जो पुलिस अधीक्षक या सीमा शुल्क और केंद्रीय माल और सेवा कर के संयुक्त आयुक्त, राजस्व खुफिया निदेशालय के संयुक्त निदेशक या समकक्ष रैंक के अधिकारी से नीचे के रैंक का नहीं होगा और ऐसी प्रत्येक समिति सीधे विभाग के प्रमुख के लिए जिम्मेदार होगी।

20. औषधि निपटान समिति का कार्य - औषधि निपटान समिति के कार्य निम्न होंगे, -

- (क) जितनी बार संभव हो और आवश्यक हो, मिलें;
- (ख) निपटान के लिए जब्त की गई वस्तुओं की विस्तृत समीक्षा करना;
- (ग) जब्त वस्तुओं के निपटान का आदेश, और
- (घ) संबंधित जांच अधिकारियों या पर्यवेक्षी अधिकारियों को शीघ्र निपटान के लिए शुरू किए जाने वाले कदमों पर सलाह देना।

21. जब्त सामग्री के निपटान के संबंध में औषधि निपटान समिति द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया - (1) गोदाम का प्रभारी अधिकारी अधिनियम की धारा 52क के तहत प्रमाणित सभी जब्त सामग्रियों की एक सूची तैयार करेगा और इसे संबंधित औषधि निपटान समिति के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सूची की जांच करने और इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि अधिनियम की धारा 52क की आवश्यकताओं का पूरी तरह से पालन किया गया है, संबंधित औषधि निपटान समिति के सदस्य इस आशय के आवश्यक प्रमाण पत्र का समर्थन करेंगे और उसके बाद वह समिति जब्ती रिपोर्ट, रासायनिक विश्लेषण की रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के संदर्भ में जब्त की गई प्रत्येक सामग्री के वजन और अन्य विवरणों की भौतिक जांच और सत्यापन करेगी और प्रत्येक मामले में अपने निष्कर्ष दर्ज करेगी।

(3) पंचनामा में उल्लिखित इंजन संख्या, चेसिस संख्या और अन्य विवरणों को सत्यापित करेगी और उनकी सूची को प्रमाणित करेगी।

22. जब्त सामग्री के निपटान के लिए औषधि निपटान समिति की शक्ति - औषधि निपटान समिति जब्त सामग्री के निस्तारण का आदेश निम्न तालिका में दर्शाई गई मात्रा या मूल्य तक दे सकती है, अर्थात्: -

तालिका

क्र.सं.	वस्तु का नाम	मात्रा प्रति खेप
(1)	(2)	(3)
1.	हेरोइन	5 किलोग्राम
2.	हशीश (चरस)	100 किलोग्राम
3.	हशीश का तेल	20 किलोग्राम
4.	गांजा	1000 किलोग्राम
5.	कोकीन	2 किलोग्राम
6.	मैट्रैक्स	3000 किलोग्राम
7.	पोस्त पुआल	10 मीट्रिक टन तक
8.	अन्य स्वापक औषधियाँ, मनः प्रभावी पदार्थ या प्रतिबंधित पदार्थ	500 किलोग्राम या 500 लीटर की मात्रा तक
9.	वाहन	50 लाख रुपये के मूल्य तक

बशर्ते कि यदि खेप मात्रा में अधिक हो या तालिका में दर्शाए गए मूल्य से अधिक हो, तो औषधि निपटान समिति अपनी सिफारिशें विभागाध्यक्ष को भेजेगी, जो विशेष रूप से इस संबंध में गठित एक उच्च स्तरीय औषधि निपटान समिति द्वारा उनके निपटान का आदेश देगी।

23. निपटान का तरीका - (1) अफीम, मार्फीन, कोडीन एवं थेबेन का निस्तारण मुख्य कारखाना नियंत्रक के अधीन सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना को हस्तान्तरित कर किया जायेगा।

(2) उप-नियम (1) में वर्णित स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के मामले में, जब्त की गई सामग्रियों का विवरण जो निपटान के लिए तैयार हैं, मुख्य कारखाना नियंत्रक उपलब्ध संचार के सबसे तेज़ साधनों द्वारा सूचित किया जाएगा।

(3) स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 के नियम 67ख के अंतर्गत मुख्य कारखाना नियंत्रक, उपनियम (2) के अधीन संचार प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों की मात्रा, यदि कोई हो, जो उसके द्वारा नमूने के रूप में आपूर्ति करने के लिए आवश्यक है, को इंगित करेगा।

(4) उपनियम (3) के अधीन मुख्य कारखाना नियंत्रक द्वारा अपेक्षित स्वापक औषधियों तथा मनःप्रभावी पदार्थों की मात्रा, यदि कोई हो, उसे अंतरित की जायेगी तथा उप-नियम (5), (6) और (7) के प्रावधानों के अनुसार शेष मात्रा में स्वापक औषधियों एवं मनःप्रभावी पदार्थों का निस्तारण किया जायेगा।

(5) स्वापक औषधियां, मनःप्रभावी पदार्थ और वैध चिकित्सा या औद्योगिक उपयोग वाले प्रतिबंधित पदार्थ और वाहन का निम्नलिखित प्रकार से निपटान किया जाएगा:

(क) स्वापक औषधि, मनःप्रभावी पदार्थ और प्रतिबंधित पदार्थ जो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) के प्रावधानों के अनुसार फॉर्मूलेशन के रूप में हैं और लेबल किए गए हैं और नियमों को निविदा या नीलामी के माध्यम से बेचा जा सकता है या उक्त अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और आदेशों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले व्यक्ति को लेबल में उल्लिखित लाइसेंसधारी निर्माता से संरचना और सूत्रीकरण की पुष्टि करने के बाद, औषधि निपटान समिति द्वारा निर्धारित की जाने वाली ऐसी अन्य रीति में शामिल है:

बशर्ते कि ऐसी बिक्री के समय जब्त किए गए फॉर्मूलेशन का कम से कम 60% शेल्फ लाइफ बनी रहे;

(ख) स्वापक औषधि, मनःप्रभावी पदार्थ और प्रतिबंधित पदार्थों को फॉर्मूलेशन के रूप में और उचित लेबलिंग के बिना नष्ट कर दिया जाएगा;

(ग) स्वापक औषधि, मनःप्रभावी पदार्थ और प्रतिबंधित पदार्थ जो थोक रूप में जब्त किए गए हैं, उन्हें टेंडर या नीलामी के माध्यम से या औषधि निपटान समिति द्वारा निर्धारित किसी अन्य प्रकार से, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) और अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम और आदेश और उक्त औषधि और प्रसाधन अधिनियम, 1940 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत उपयुक्त प्राधिकारी से चिकित्सा प्रयोजनों के लिए जब्त किए गए पदार्थों के मानकों और उपयुक्तता की पुष्टि करने के बाद की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले व्यक्ति को बेचा जा सकता है।

(घ) वैध औद्योगिक उपयोग वाले प्रतिबंधित पदार्थों को निविदा या नीलामी के माध्यम से या औषधि निपटान समिति द्वारा निर्धारित किसी अन्य तरीके से अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और आदेशों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले व्यक्ति को बेचा जा सकता है;

(ङ) जब्त किए गए वाहनों को निविदा या नीलामी के माध्यम से बेचा जाएगा जैसा कि औषधि निपटान समिति द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(6) स्वापक औषधि, मनःप्रभावी पदार्थ और प्रतिबंधित पदार्थ जिनका कोई वैध चिकित्सा या औद्योगिक उपयोग नहीं है या जब्त किए गए पदार्थ की ऐसी मात्रा जो इस तरह के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं पाई जाती है या बेची नहीं जा सकती है, को नष्ट कर दिया जाएगा।

(7) उप-नियम (5) और उप-नियम (6) के खंड (ख) में निर्दिष्ट विनाश उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों से युक्त भस्मकों में भस्मीकरण द्वारा होगा, जो उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करते हैं और ऐसा भस्मीकरण केवल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित स्थानों में किया जाना चाहिए या जहां पर्याप्त सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है और बाद के मामले में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह का भस्मीकरण स्वास्थ्य के लिए खतरा या प्रदूषणकारी न हो, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति या प्रदूषण नियंत्रण समिति, जैसा भी मामला हो, प्राप्त किया जाएगा और औषधि निपटान समिति के सदस्यों की उपस्थिति में नष्ट किया जाएगा।

24. औषधि को नष्ट करने से पहले विभागाध्यक्ष को सूचना - औषधि निपटान समिति नियम 23 के उपनियम (7) में निर्दिष्ट विनाश के संबंध में विभागाध्यक्ष को कम से कम पन्द्रह दिन पहले सूचित करेगी ताकि यदि वह उचित समझे तो वह या तो स्वयं औचक निरीक्षण कर सके या इस तरह के औचक निरीक्षण करने के लिए एक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करें और प्रत्येक विनाश अभियान के बाद, औषधि निपटान समिति विनाश का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी।

25. नष्ट होने का प्रमाण पत्र - (1) औषधि निपटान समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा फॉर्म-7 में नष्टीकरण का प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में तैयार कर हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(2) विनाश प्रमाण-पत्र की मूल प्रति इस आशय की आवश्यक प्रविष्टियां करने के पश्चात् गोदाम रजिस्टर में चिपकाई जायेगी, दूसरी प्रति जब्ती प्रकरण की फाइल में रखी जायेगी तथा तीसरी प्रति औषधि निपटान समिति द्वारा रखी जायेगी।

26. राजकीय अफीम एवं अल्कलॉइड वर्क्स द्वारा प्राप्ति - (1) जब्त स्वापक औषधि, मनःप्रभावी पदार्थ, या प्रतिबंधित पदार्थ जब भी सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना को हस्तांतरित किया जाता है, तो वह इस तरह के हस्तांतरण की प्राप्ति को स्वीकार करते हुए फॉर्म-8 में एक प्रमाण पत्र जारी करेगा, जिस पर ऐसे किसी प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा जिसे प्राधिकारी के रूप में कारखानों के मुख्य नियंत्रक द्वारा नियत किया जा सकता है।

(2) राजकीय अफीम एवं एल्केलायड वर्क्स जब्त स्वापक औषधि, मनःप्रभावी पदार्थ एवं प्रतिबंधित पदार्थ के ब्यौरों के साथ प्ररूप-9 में एक रजिस्टर का रख-रखाव करेगा, जिस पर मुख्य नियंत्रक द्वारा निर्णीत प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। कारखाने और जो अंतिम प्रविष्टि की तारीख से पच्चीस वर्ष की अवधि के लिए संरक्षित रहेंगे।

27. निपटान का प्रमाण पत्र - (1) जब और जैसे जब्त की गई स्वापक औषधि, मनःप्रभावी पदार्थ, प्रतिबंधित पदार्थ या वाहन को सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना को हस्तांतरित किया जाता है या निविदा या नीलामी के माध्यम से या औषधि निपटान समिति द्वारा निर्धारित किसी अन्य तरीके से बेचा जाता है, को फॉर्म-10 में निपटान प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में तैयार किया जायेगा एवं औषधि निपटान समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(2) प्रमाण पत्र की मूल प्रति गोदाम रजिस्टर में चिपका दी जायेगी, दूसरी प्रति जब्ती मामले की फाइल में रखी जायेगी और तीसरी प्रति औषधि निपटान समिति द्वारा रखी जायेगी।

28. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को संचार - (1) प्रत्येक केंद्रीय औषधि कानून प्रवर्तन एजेंसी और राज्य औषधि कानून प्रवर्तन एजेंसी के विभागाध्यक्ष अधिनियम की धारा 52क के तहत मादक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों, प्रतिबंधित पदार्थों और वाहनों को निपटान के विषय में फॉर्म-11 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को की गई कार्रवाई का विवरण देते हुए एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(2) किसी तिमाही के लिए विवरणी उस तिमाही के बाद वाले महीने के अंतिम दिन से पहले प्रस्तुत की जाएगी।

स्पष्टीकरण - शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि उप-नियम (2) के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "तिमाही" प्रत्येक वर्ष जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर तक होगी।

अध्याय -IV

विविध

29. निरसन और व्यावृत्तियाँ - (1) नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा जारी स्थायी आदेश संख्या 1/88, दिनांक 15 मार्च, 1988, स्थायी आदेश संख्या 2/88, दिनांक 11 अप्रैल, 1988, स्थायी आदेश संख्या 1/89 दिनांक 13 जून 1989, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा जारी किया गया है और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित, जिसे सा.का.नि. संख्या 38)अ), दिनांक 16 जनवरी, 2015, एतद्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) इस तरह के निरसन के बावजूद, उप-नियम (1) द्वारा निरस्त किए गए किसी भी स्थायी आदेश या अधिसूचना के तहत किया गया कोई भी काम या की गई कोई कार्रवाई या की गई कार्रवाई या की गई कार्रवाई, जहां तक कि यह प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है इन नियमों के अनुरूप प्रावधानों के तहत किए गए या किए गए माने जाएंगे।

[फा. सं. एन-16011/07/2018-एनसी -II]

विनोद कुमार, निदेशक

फॉर्म 1

[नियम 5(1) देखें]

[दो प्रतियों में तैयार करने के लिए]

जब्ती अधिकारी द्वारा ज्ञापन गोदाम को अग्रेषित करना

1. एनडीपीएस अपराध संख्या [स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) के तहत अपराध और अभियोजन रजिस्टर के अनुसार]
2. अभियुक्त का नाम व पता
3. जब्ती का स्थान, दिनांक और समय
4. प्रत्येक सीलबंद पैकेज / कंटेनर में वस्तुओं का विवरण (भौतिक गुण)।
5. ड्रग डिटेक्शन किट द्वारा किए गए परीक्षण के परिणाम, यदि कोई हो
6. प्रत्येक सीलबंद पैकेज / कंटेनर में मात्रा
7. समान सामग्री वाले पैकेजों/कंटेनरों की सामग्रीवार संख्या
8. पैकेजों / कंटेनरों की कुल संख्या
9. वाहनों की कुल संख्या
10. प्रत्येक वाहन का विवरण, जैसे कि प्रकार, मेक, निर्माता का नाम, रंग आदि, प्रत्येक वाहन से जुड़ी पहचान संख्या के साथ, जैसे पंजीकरण संख्या, इंजन संख्या, चेसिस संख्या, आदि।
11. वाहन के रूप में प्रयुक्त पशुओं का विवरण

स्थान:

आधिकारिक सील सहित जब्ती अधिकारी के

तारीख:

हस्ताक्षर, पूरा नाम और पदनाम

समय:

गोदाम के प्रभारी अधिकारी

आधिकारिक सील सहित हस्ताक्षर

द्वारा पृष्ठांकित:

और पूरा नाम

फॉर्म -2

[नियम 5(2) देखें]

गोदाम के प्रभारी अधिकारी द्वारा पावती

उसके द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित और अधोहस्ताक्षरी द्वारा पृष्ठांकित (फॉर्म -1 की मूल प्रति अपने पास रखी गई है और उसकी दूसरी प्रति संलग्न है), फॉर्म -1 में विवरण के अनुसार, _____ संख्या में पैकेज/कंटेनर और _____ संख्या में वाहन _____ से प्राप्त हुए और उनको गोदाम के रजिस्टर की प्रविष्टि संख्या _____ के अनुसार गोदाम में रख दिया गया है।

स्थान:

आधिकारिक सील सहित गोदान के प्रभारी

तिथि:

अधिकारी के हस्ताक्षर, पूरा नाम और पदनाम

समय:

फॉर्म-3

[नियम 6(2) देखें]

गोदाम में प्राप्त सामग्री का रजिस्टर

गोदाम रजिस्टर सं.____	गोदाम के प्रभारी अधिकारी का नाम
वर्ष _____	

1. गोदाम प्रविष्टि क्र.सं.:
2. एनडीपीएस अपराध संख्या:
3. जब्ती/जमा करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम/पता:
4. जब्ती अधिकारी द्वारा पैकेजों/कंटेनरों पर लगाई गई सील की प्रतिकृति:
5. आरोपी का नाम व पता :
6. जब्ती का स्थान, दिनांक और समय:
7. गोदाम में जमा करने की तारीख और समय :
8. प्रत्येक सीलबंद पैकेज / कंटेनर में वस्तुओं का विवरण (भौतिक गुण):
9. प्रत्येक सीलबंद पैकेज/कंटेनर में सकल मात्रा:

10. मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नमूना लेने के बाद शुद्ध मात्रा:
11. समान सामग्री वाले पैकेजों/कंटेनरों की सामग्रीवार संख्या:
12. पैकेजों / कंटेनरों की कुल संख्या :
13. वाहनों की कुल संख्या:
14. प्रत्येक वाहन का विवरण, जैसे कि प्रकार, मेक, निर्माता का नाम, रंग इत्यादि, प्रत्येक वाहन से जुड़ी पहचान संख्या के साथ, जैसे पंजीकरण संख्या, इंजन संख्या, चेसिस संख्या , आदि :
15. वाहन के रूप में प्रयुक्त पशु का विवरण:
16. न्यायालय में प्रदर्शन के लिए निकासी और पुनः प्रवेश का विवरण:
17. क्या मजिस्ट्रेट ने धारा 52क के तहत पेश किए गए आवेदन को अनुमति दी है (विवरण का उल्लेख करें):
18. निपटान के लिए हटाने की तिथि और समय:
19. विनाश/निपटान का प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो:
20. निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणियां:

फार्म-4

[नियम 8 देखें]

जब्त सामग्री की सूची

[स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम , 1985 की धारा 52क की उप-धारा (2) के तहत]

मामला संख्या-----

जब्त एजेंसी: -----

जब्त अधिकारी:-----

जब्त की तारीख: -----

जब्त का स्थान:-----

इस सूची को तैयार करने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम: -----

तालिका

क्र.सं.	बरामद किए गए सामान का विवरण	गुणवत्ता	मात्रा	पैकिंग की विधा	चिह्न और संख्या	जब्त वस्तुओं की अन्य पहचान या पैकिंग का विवरण	उद्गम देश	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम

**स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 52क की उप-धारा (3) के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा
प्रमाणन**

जहां कि उपरोक्त अधिकारी ने उपरोक्त सूची को प्रमाणित करने के लिए स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की उप-धारा (2) धारा 52क के तहत मेरे पास आवेदन किया था और उस धारा की उप-धारा (3) में यह जरूरी है कि जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है यदि वह उसमें स्पष्ट हो, तो वह आवेदन को यथाशीघ्र अनुमोदित कर देअतः , मैं, इस बात से संतुष्ट हूं कि उपरोक्त सूची जब्ती दस्तावेजों के अनुसार है और मेरे सामने प्रस्तुत मामले से संबंधित जब्त सामग्री की खेप उपरोक्त सूची के ठीक होने को प्रमाणित करती है।

मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम

फॉर्म-5

[देखें: नियम 8 और नियम 18 (1)]

**स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 52क की उप-धारा (2) के तहत जब्त स्वापक
औषधि, मनःप्रभावी पदार्थ, प्रतिबंधित पदार्थ और वाहन के निपटान के लिए आवेदन**

[किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या स्वापक औषधि, मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 53 के तहत शक्ति प्राप्त अधिकारी द्वारा किया जाने वाला आवेदन, जिसके हिरासत में उक्त अधिनियम के तहत जब्त की गई सामग्री है]

सेवा में,

माननीय मजिस्ट्रेट महोदय,

महोदय,

विषय: जब्त स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों, प्रतिबंधित पदार्थों और वाहनों की सूची, फोटोग्राफ और नमूनों की सत्यता के प्रमाणीकरण के लिए आवेदन

1. अधिसूचना संख्या दिनांक के तहत सरकार ने स्वापक औषधि, मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 52क के तहत सभी स्वापक औषधि, मनःप्रभावी पदार्थ, प्रतिबंधित पदार्थ और वाहन की इस रूप में पहचान कर ली है, जो चोरी और प्रतिस्थापन की दृष्टि से असुरक्षित है।

2. स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 52क की उप-धारा (2) के तहत आवश्यक के रूप में, मैं जब्त सामग्री की संलग्न सूची प्रस्तुत करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि-

- (a) इन्वेंट्री की शुद्धता को प्रमाणित करें;
- (b) आपकी उपस्थिति में, सूची में जब्त की गई वस्तुओं की तस्वीरें लेने की अनुमति दें और ऐसी तस्वीरों को सत्य के रूप में प्रमाणित करें; और
- (c) अपनी उपस्थिति में प्रतिनिधि नमूने लेने की अनुमति दें और इस प्रकार तैयार किए गए नमूनों की सूची की सत्यता को प्रमाणित करें।

3. मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 52क की उप-धारा (3) के तहत अनुमति दी जाए ताकि जब्त की गई मादक दवाओं, मनःप्रभावी पदार्थ, प्रतिबंधित पदार्थों या वाहनों का तत्पश्चात् उक्त अधिनियम की धारा 52क की उप-धारा (1) के अनुसार धारा 52क की उप-धारा (4) के अनुसार इसका निपटान किया जा सके और इसका प्रमाण पत्र, तस्वीरों और नमूनों को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में अपने पास रखा जा सके।

आपका,

अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम

तिथि:

स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 52क की उप-धारा (3) के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाण पत्र

मैं स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 52क की उप-धारा (3) के तहत उपरोक्त आवेदन की अनुमति देता हूँ और इसके द्वारा संलग्न सूची की सत्यता, ली गई संलग्न तस्वीरों और मेरी उपस्थिति में तैयार किए गए नमूनों की सूची को प्रमाणित करता हूँ।

मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम

तिथि:

फार्म-6

[देखें: नियम 13(2)]

परिक्षण रसीद

जब्ती करने वाले संगठन का नाम और पता

=====

अनुभाग -I (जब्ती अधिकारी के द्वारा उपयोग के लिए)

1. मामला संख्या
2. नमूना लेने वाले अधिकारी (अधिकारियों) का नाम और पता:
3. अभियुक्तों का नाम और पता :
4. नशीली दवाओं का तथा-कथित विवरण और नमूनों का वजन (शुद्ध वजन):
5. जब्ती की तारीख और समय:
6. जब्ती का स्थान:
7. नमूना लेने की तिथि:
8. नमूनों की संख्या और पहचान के लिए उनमें से प्रत्येक पर उसका अंकन:
9. सील का विवरण:
नमूनों पर लगाई गई सील की संख्या:
10. सील की प्रतिकृति:

अग्रेषण अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

खंड-II प्रयोगशाला में उपयोग के लिए

1. प्रयोगशाला में प्राप्ति की तिथि:
2. वजन (शुद्ध वजन) जैसा कि प्रयोगशाला में पाया गया:
3. निम्नलिखित के परिणाम आयोजित करने की तिथि: -
 - (क) गुणात्मक परीक्षण:
 - (ख) मात्रात्मक परीक्षण:
 - (ग) रसायनज्ञ का सामान्य अवलोकन:

रसायनज्ञ का नाम और हस्ताक्षर

फॉर्म -7

[देखें: नियम 25]

नष्ट किए जाने का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थ एवं प्रतिबंधित पदार्थों को हमारी उपस्थिति में नष्ट किया गया-

1. मामला संख्या:
2. स्वापक औषधियां/मनःप्रभावी पदार्थ/प्रतिबंधित पदार्थ:
3. जब्ती एजेंसी:
4. जब्ती अधिकारी:
5. जब्ती की तारीख:
6. जब्ती का स्थान:
7. गोदाम-प्रविष्टि संख्या:
8. जब्त की गई दवाओं का कुल वजन:

नष्ट किए गए स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों, प्रतिबंधित पदार्थों का शुद्ध वजन (नमूने आदि लेने के बाद):

10. कहां और कैसे नष्ट किया गया:

ड्रग डिस्पोजल कमेटी के अध्यक्ष और सदस्यों के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम ।

फार्म -8

[नियम 26(1) देखें]

सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना द्वारा प्रमाण पत्र

संदर्भ संख्या _____ दिनांक _____

प्रमाणित किया जाता है कि सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना में निम्नलिखित स्वापक औषधियां/मनःप्रभावी पदार्थ/प्रतिबंधित पदार्थ प्राप्त हुए थे :

1. मामला संख्या:
2. जब्ती एजेंसी:
3. जब्ती अधिकारी:
4. जब्ती की तारीख:
5. जब्ती का स्थान:
6. गोदाम-प्रविष्टि संख्या:
7. सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना में प्राप्त स्वापक औषधि/मनःप्रभावी पदार्थ/प्रतिबंधित पदार्थ का विवरण:-

(क) स्वापक औषधि/मनःप्रभावी पदार्थ/प्रतिबंधित पदार्थ का नाम:

(ख) प्राप्त स्वापक औषधि/मनःप्रभावी पदार्थ/प्रतिबंधित पदार्थ का शुद्ध वजन (यदि एक से अधिक औषधि और/या पदार्थ है, प्रत्येक का शुद्ध वजन निर्दिष्ट किया जाना है)

8. पूर्वोक्त स्वापक औषधि/ मनःप्रभावी पदार्थ/प्रतिबंधित पदार्थ की प्राप्ति रजिस्टर में दर्ज की गई है ।

इस प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, कार्यालय का पता, जैसा कि नियम 26 में दिया गया है।

फार्म-9

[देखें: नियम 26 (2)]

सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले स्वापक औषधि/ मनःप्रभावी पदार्थ/प्रतिबंधित पदार्थ की प्राप्ति का रजिस्टर

1. क्रम संख्या:
2. मामला संख्या:
3. जब्ती एजेंसी:
4. जब्ती अधिकारी:

5. जब्ती की तारीख:
6. जब्ती का स्थान:
7. गोदाम-प्रविष्टि संख्या:
8. स्वापक औषधि/ मनःप्रभावी पदार्थ/प्रतिबंधित पदार्थ का नाम:
9. प्राप्त स्वापक औषधि/ मनःप्रभावी पदार्थ/प्रतिबंधित पदार्थ का शुद्ध भार (यदि एक से अधिक औषधि या पदार्थ हैं तो प्रत्येक का निवल भार लगातार क्रम संख्या के साथ विनिर्दिष्ट किया जाए):
10. उक्त स्वापक औषधि/मनःप्रभावी पदार्थ/प्रतिबंधित पदार्थ की प्राप्ति के लिए जारी प्रमाण पत्र की संदर्भ संख्या एवं दिनांक:

नियम 26 के अनुसार प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम।

फार्म-10

[देखें: नियम 27]

निपटान-प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों, प्रतिबंधित पदार्थों और वाहनों का निपटान किया गया:-

1. मामला संख्या:
2. जब्ती एजेंसी:
3. जब्ती अधिकारी:
4. जब्ती की तारीख:
5. जब्ती का स्थान:
6. गोदाम-प्रविष्टि संख्या:
7. स्वापक औषधि/मनोप्रभावी पदार्थ/प्रतिबंधित पदार्थ का विवरण :-

(क) औषधि/पदार्थ का नाम:

(ख) जब्त की गई औषधि/पदार्थ का सकल वजन (यदि एक से अधिक औषधि या पदार्थ हैं, तो प्रत्येक का सकल वजन विनिर्दिष्ट किया जाना है):

(ग) नमूने लेने के बाद औषधि/पदार्थ का शुद्ध वजन (यदि एक से अधिक औषधि और/या पदार्थ हैं तो प्रत्येक का शुद्ध वजन विनिर्दिष्ट किया जाना है):

(घ) सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना को अंतरित मात्रा:

(ङ) सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना द्वारा जारी प्रमाण पत्र की संदर्भ संख्या एवं दिनांक:

- (च) बिक्री किया गया माल:
- (छ) बिक्री से प्राप्त आय (रुपये में):
- (ज) किसे बिक्री किया गया:

8. वाहन का विवरण:-

- (क) वाहन की पंजीकरण संख्या:
- (ख) वाहन का विवरण (निर्माता, मॉडल, रंग, आदि स्पष्ट किया जाना है):
- (ग) वाहन की पहचान संख्या, जैसे कि इंजन संख्या, चैसिस संख्या, आदि निर्दिष्ट की जानी है:
- (घ) बिक्री से प्राप्त आय (रुपये में):
- (ङ) किसे बिक्री किया:

ड्रग डिस्पोजल कमेटी के अध्यक्ष और सदस्यों के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम ।

फार्म -11

[देखें: नियम 28]

केन्द्रीय औषधि कानून प्रवर्तन एजेंसी/राज्य औषधि कानून प्रवर्तन एजेंसी के विभागाध्यक्ष द्वारा
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को प्रस्तुत की जाने वाली त्रैमासिक रिपोर्ट

दिनांक _____ को समाप्त होने वाली तिमाही रिपोर्ट _____

कानून प्रवर्तन एजेंसी का नाम और पता: _____

1. तिमाही की शुरुआत में मामलों की संख्या
2. तिमाही के दौरान नए मामलों की संख्या
3. मामलों की कुल संख्या (1+2):
4. उपरोक्त (3) मामलों की कुल संख्या में से, ऐसे मामलों की संख्या जहां इस अधिनियम की धारा 52क की उप-धारा 2 के तहत आवेदन किया गया है:
5. ऐसे मामलों की संख्या जहां इस अधिनियम की धारा 52क की उप-धारा 2 के तहत स्थानांतरित आवेदन को उक्त धारा 52क की उप-धारा (3) के तहत अनुमति दी गई है:
6. उपरोक्त 5 मामलों में से, ऐसे मामलों की संख्या जहां जब्त सामग्री का निपटान किया जा चुका है

इस प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए केन्द्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी/राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसी के विभागाध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम तथा कार्यालय का पता ।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd December, 2022

G. S. R. 899(E).—In exercise of the powers conferred by section 76; read with section 52A; of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

CHAPTER-I**PRELIMINARY**

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Seizure, Storage, Sampling and Disposal) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) “Act” means the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985);
- (b) “container” means a portable receptacle in which narcotic drugs, psychotropic substances and controlled substances are placed for convenience of movement;
- (c) “Form” means the forms appended to these rules;
- (d) “Magistrate” means the judicial magistrate;
- (e) “package” means the narcotic drugs, psychotropic substances and controlled substances covered in paper or in a box.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II**SEIZURE AND STORAGE OF SEIZED MATERIAL**

3. Classification of seized material. - (1) The narcotic drugs, psychotropic substances and controlled substances seized under the Act shall be classified based on physical properties and results of the drug detection kit, if any, and shall be weighed separately.

(2) If the narcotic drugs, psychotropic substances and controlled substances are found in packages or containers, such packages and containers shall be weighed separately and serially numbered for the purpose of identification.

(3) All narcotic drugs, psychotropic substances and controlled substances found in loose form shall be packed in tamper proof bag or in container, which shall be serially numbered and weighed and the particular of drugs and the date of seizure shall also be mentioned on such bag or container:

Provided that bulk quantities of ganja, poppy straw may be packed in gunny bags and sealed in such way that it cannot be tampered with:

Provided further that seized concealing material such as trolley bags, backpack and other seized articles shall be sealed separately.

(4) The classification, weighing, packaging and numbering referred to in this sub-rule shall be done in the presence of search witnesses (Panchas) and the person from whose possession the drugs and substances was recovered and a mention to this effect shall invariably be made in the panchnama drawn on the spot of seizure.

(5) The detailed inventory of the packages, containers, conveyances and other seized articles shall be prepared and attached to the panchnama.

4. Designation of godowns. - (1) The godowns for storage of narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances, conveyance and other articles seized under the Act shall be designated by,-

- (a) the department and agencies of the Central Government whose officers have been delegated powers of an officer-in-charge of a police station under section 53 of the Act;

- (b) The State Police and the department and agencies of the State Government whose officers have been delegated powers of an officer-in-charge of a police station under section 53 of the Act.

(2) Godowns referred to in sub-rule (1) shall be identified taking into consideration the security aspect and juxtaposition to court of law and such godowns shall be placed under the over-all supervision and charge of an officer of Gazette rank of the department and agencies referred to in sub-rule (1).

5. Deposit in godowns. – (1) All seized materials referred to in sub-rule (1) of rule 3, after seizure under the Act shall be deposited by the seizing officer in the nearest godown designated under rule 4 within forty-eight hours from the time of seizure along with a forwarding memorandum in Form-1:

Provided that the said time period may be relaxed by further twenty-four hours after providing of reasonable justification by the officer to whom the seized material has been forwarded under sub-section (3) of Section 52 of the Act.

(2) The officer in-charge of a godown, before giving an acknowledgement of receipt in Form-2, shall satisfy himself that the seized materials are properly packed, sealed and in conformity with the details mentioned in Form-1.

(3) The officer, who had seized the material, shall hand over the acknowledgement of receipt of seized material in Form-2, along with all other documents relating to the seizure, to the Investigating Officer for further proceedings.

6. Storage of seized material in godown. – (1) After receipt of the seized material, the officer in-charge of the godown shall ensure that the seized material is properly arranged, case-wise, for quick retrieval.

(2) The officer in-charge of a godown shall maintain a register of material received in the godown in Form-3.

(3) All seized material, excluding the conveyances, shall be stored in safes and vaults with double lock.

7. Inspection of godown. – (1) The department and agencies referred to in rule 4 and the State Police shall designate an Inspecting Officer for each godown, who shall be higher in rank to that of the officer in-charge of the godown.

(2) The Inspecting Officer referred to in sub-rule (1) shall make periodical inspection of the godown, at least once in every quarter, and shall record his remarks in the godown register in Form-3 with respect to security, safety and early disposal of the seized material.

(3) The departments and agencies, referred to in rule 4 and the State Police shall maintain periodical reports and returns to monitor the safe receipt, deposit, storage, accounting and disposal of seized materials under the Act.

CHAPTER III

SAMPLING

8. Application to Magistrate. – After the seized material under the Act is forwarded to the officer-in-charge of the nearest police station or to the officer empowered under section 53 of the Act or if it is seized by such an officer himself, he shall prepare an inventory of such material in Form-4 and apply to the Magistrate, at the earliest, under sub-section (2) of section 52A of the Act in Form-5.

9. Samples to be drawn in the presence of Magistrate. – After application to the Magistrate under sub-section (2) of section 52A of the Act is made, the Investigating Officer shall ensure that samples of the seized material are drawn in the presence of the Magistrate and the same is certified by the magistrate in accordance with the provisions of the said-sub-section.

10. Drawing the samples. – (1) One sample, in duplicate, shall be drawn from each package and container seized.

(2) When the packages and containers seized together are of identical size and weight bearing identical marking and the contents of each package give identical results on colour test by the drugs identification kit, conclusively indicating that the packages are identical in all respects, the packages and containers may carefully be bunched in lots of not more than ten packages or containers, and for each such lot of packages and containers, one sample, in duplicate, shall be drawn:

Provided that in the case of ganja, poppy straw and hashish (charas) it may be bunched in lots of not more than fourty packages or containers.

(3) In case of drawing sample from a particular lot, it shall be ensured that representative sample in equal quantity is taken from each package or container of that lot and mixed together to make a composite whole from which the samples are drawn for that lot.

11. Quantity to be drawn for sampling. – (1) Except in cases of opium, ganja and charas (hashish), where a quantity of not less than twenty-four grams shall be drawn for each sample, in all other cases not less than five grams shall be drawn for each sample and the same quantity shall be taken for the duplicate sample.

(2) The seized substances in the packages or containers shall be well mixed to make it homogeneous and representative before the sample, in duplicate, is drawn.

(3) In case where seized quantities is less than that required for sampling, the whole of the seized quantity may be sent.

12. Storage of samples. - (1) Each sample shall be kept in heat-sealed plastic bags or heat-resistant glass bottle or apparatus, which shall be kept in a paper envelope, sealed properly and marked as original or duplicate, as the case may be.

(2) The paper envelope shall also bear the respective serial number of the package or container from which the sample had been drawn.

(3) The envelope containing the duplicate sample shall also have reference of the test memo and shall be kept in another envelope, sealed and marked 'Secret-drug sample / Test memo', to be sent to the designated laboratory for chemical analysis.

13. Despatch of sample for testing. – (1) The samples after being certified by the Magistrate shall be sent directly to any one of the jurisdictional laboratories of Central Revenue Control Laboratory, Central Forensic Science Laboratory or State Forensic Science Laboratory, as the case may be, for chemical analysis without any delay.

(2) The samples of seized drugs or substances shall be despatched to the jurisdictional laboratories under the cover of the Test Memo, which shall be prepared in triplicate, in Form-6.

(3) The original and duplicate of the Test Memo shall be sent to the jurisdictional laboratory alongwith the samples and the triplicate shall be retained in the case file of the seizing officer.

14. Expeditious Test. - The chemical laboratory shall submit its report to the court of Magistrate with a copy to the investigating officer within fifteen days from the date of receipt of the sample.

Provided that where quantitative analysis requires longer time, the results of the qualitative test shall be dispatched to the court of Magistrate with a copy to investigating officer within the said time limit on the original copy of the Test Memo and in the next fifteen days the result of quantitative test shall also be indicated on the duplicate Test Memo and sent to the court of Magistrate with a copy to the investigating officer.

15. Duplicate Sample and Remnants of Samples. – (1) Remnants of samples shall be returned with reference to the Test Memo to the office from which they were received within three months after the analysis by the laboratory.

(2) Immediately after the acceptance of the test report by the court of Magistrate, the duplicate sample held by the Inquiry Officer shall be deposited in the godown referred to in rule 5 along with the remnants of the sample.

CHAPTER IV

DISPOSAL

16. Items that can be disposed of. - Having regard to the hazardous nature, vulnerability to theft, substitution and constraints of proper storage space, all narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances and conveyances, as soon as may be after their seizure, shall be disposed of in the manner determined under section 52A of the Act.

17. Officers who shall initiate action for disposal. - Any officer in-charge of a police station or any officer empowered under section 53 of the Act shall initiate action for disposal of narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances or conveyances under section 52A of the Act after the receipt of chemical analysis report.

18. Application to Magistrate. – (1) The officer empowered under section 53 of the Act or if the materials are seized by such an officer himself, he shall apply to the Magistrate under sub-section (2) of section 52A of the Act in Form-5 at the earliest to allow the application under sub-section (3) of section 52A of the Act.

(2) After the Magistrate allows the application under sub-section (3) of section 52A of the Act, the officer referred to in sub-rule (1) shall preserve the certified inventory, photographs and samples drawn in the presence of the Magistrate as primary evidence for the case and submit details of the seized materials to the Chairman of the Drug Disposal Committee for a decision by the Committee on the disposal, and the said officer shall also send a copy of the details along with the seized materials to the officer-in-charge of the godown.

19. Drug Disposal Committee. - The Head of the Department of each Central drug law enforcement agency and State drug law enforcement agency shall constitute one or more Drug Disposal Committees comprising of three Members each which shall be headed by an officer not below the rank of the Superintendent of Police or Joint Commissioner of

Customs and Central Goods and Services Tax, Joint Director of Directorate of Revenue Intelligence or officers of equivalent rank and every such Committee shall be directly responsible to the Head of the Department.

20. Functions of the Drug Disposal Committee. - The functions of the Drug Disposal Committee shall be to, -

- (a) meet as frequently as possible and necessary;
- (b) conduct a detailed review of seized items pending disposal;
- (c) order disposal of seized items, and
- (d) advise the respective investigation officers or supervisory officers on the steps to be initiated for expeditious disposal.

21. Procedure to be followed by the Drug Disposal Committee with regard to disposal of seized materials. - (1) The officer-in-charge of the godown shall prepare a list of all the seized materials that have been certified under section 52A of the Act and submit it to the Chairman of the concerned Drug Disposal Committee.

(2) After examining the list referred to in sub-rule (1) and satisfying that the requirements of section 52A of the Act have been fully complied with, the Members of the concerned Drug Disposal Committee shall endorse necessary certificates to this effect and thereafter that Committee shall physically examine and verify the weight and other details of each of the seized materials with reference to the seizure report, report of chemical analysis and any other documents, and record its findings in each case.

(3) In case of conveyance, the committee shall verify the engine number, chassis number and other details mentioned in panchnama and certify the inventory thereof.

22. Power of Drug Disposal Committee for disposal of seized material. - The Drug Disposal Committee can order disposal of seized materials up to the quantity or value indicated in the following Table, namely: -

TABLE

Sl. No.	Name of item	Quantity per consignment
(1)	(2)	(3)
1.	Heroin	5 Kilogram
2.	Hashish (Charas)	100 Kilogram
3.	Hashish oil	20 Kilogram
4.	Ganja	1000 Kilogram
5.	Cocaine	2 Kilogram
6.	Mandrax	3000 Kilogram
7.	Poppy straw	Up to 10 Metric Tonne.
8.	Other narcotic drugs, psychotropic substances, or controlled substances	Upto a quantity of 500 Kilogram or 500 Litre
9.	Conveyances	Upto a value of Rs. 50 Lakhs:

Provided that if the consignments are larger in quantity or of higher value than those indicated in the Table, the Drug Disposal Committee shall send its recommendations to the Head of the Department who shall order their disposal by a high-level Drug Disposal Committee specially constituted in this regard.

23. Mode of disposal. - (1) Opium, morphine, codeine and thebaine shall be disposed of by transferring to the Government Opium and Alkaloid Works under the Chief Controller of Factories.

(2) In case of narcotic drugs and psychotropic substances other than those mentioned in sub-rule (1), the Chief Controller of Factories shall be intimated by the fastest means of communication available, the details of the seized materials that are ready for disposal.

(3) The Chief Controller of Factories shall indicate within fifteen days of the date of receipt of the communication under sub-rule (2), the quantities of narcotic drugs and psychotropic substances, if any, that are required by him to supply as samples under rule 67B of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985.

(4) The quantities of narcotic drugs and psychotropic substances, if any, as required by the Chief Controller of Factories under sub-rule (3) shall be transferred to him and the remaining quantities of narcotic

drugs and psychotropic substances shall be disposed of in accordance with the provisions of sub-rules (5), (6) and (7).

(5) Narcotic drugs, psychotropic substances and controlled substances having legitimate medical or industrial use, and conveyances shall be disposed of in the following manner:

- (a) narcotic drugs, psychotropic substances and controlled substances which are in the form of formulations and labelled in accordance with the provisions of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) and rules made thereunder may be sold, by way of tender or auction or in such other manner as may be determined by the Drug Disposal Committee, after confirming the composition and formulation from the licensed manufacturer mentioned in the label, to a person fulfilling the requirements of the said Act and the rules and orders made thereunder:

Provided that a minimum of 60% of the shelf life of the seized formulation remains at the time of such sale;

- (b) narcotic drugs, psychotropic substance and controlled substances seized in the form of formulations and without proper labelling shall be destroyed;
- (c) narcotic drugs, psychotropic substances and controlled substances seized in bulk form may be sold by way of tender or auction or in such other manner as may be determined by the Drug Disposal Committee, to a person fulfilling the requirements of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) and the Act, and the rules and orders made thereunder, after confirming the standards and fitness of the seized substances for medical purposes from the appropriate authority under the said Drugs and Cosmetics Act, 1940 and the rules made thereunder;
- (d) controlled substances having legitimate industrial use may be sold, by way of tender or auction or in such other manner as may be determined by the Drug Disposal Committee, to a person fulfilling the requirements of the Act and the rules and orders made thereunder;
- (e) seized conveyances shall be sold by way of tender or auction as may be determined by the Drug Disposal Committee.

(6) Narcotic drugs, psychotropic substances and controlled substances which have no legitimate medical or industrial use or such quantity of seized substance which is not found fit for such use or could not be sold shall be destroyed.

(7) The destruction referred to in clause (b) of sub-rule (5) and sub-rule (6) shall be by incineration in incinerators fitted with appropriate air pollution control devices, which comply with emission standards and such incineration may only be done in places approved by the State Pollution Control Board or where adequate facilities and security arrangements exist and in the latter case, in order to ensure that such incineration may not be a health hazard or polluting, the consent of the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, as the case may be, shall be obtained, and the destruction shall be carried out in the presence of the Members of the Drug Disposal Committee.

24. Intimation to Head of Department on destruction. -The Drug Disposal Committee shall intimate the Head of the Department regarding the destruction referred in sub-rule (7) of rule 23, at least fifteen days in advance so that, in case he deems fit, he may either himself conduct surprise checks or depute an officer for conducting such surprise checks and after every destruction operation, the Drug Disposal Committee shall submit to the Head of the Department a report giving details of destruction.

25. Certificate of destruction. - (1) A certificate of destruction in Form-7 shall be prepared in triplicate and signed by the Chairman and Members of the Drug Disposal Committee.

(2) The original copy of the certificate of destruction shall be pasted in the godown register after making necessary entries to this effect, the duplicate to be retained in the seizure case file and the triplicate copy shall be kept by the Drug Disposal Committee.

26. Receipt by Government Opium and Alkaloid Works. - (1) As and when seized narcotic drug, psychotropic substance, or controlled substance is transferred to the Government Opium and Alkaloid Works, it shall issue a certificate in Form-8, acknowledging the receipt of such transfer, which shall be signed by an authority as may be decided by the Chief Controller of Factories.

(2) The Government Opium and Alkaloid Works shall maintain a register in Form-9 containing details of seized narcotic drug, psychotropic substance, and controlled substance transferred to it, which shall be signed by an authority as may be decided by the Chief Controller of Factories and which shall be preserved for a period of twenty-five years from the date of last entry.

27. Certificate of Disposal. - (1) As and when the seized narcotic drug, psychotropic substance, controlled substance or conveyance is transferred to the Government Opium and Alkaloid Works or sold by way of tender or auction or in any other manner determined by the Drug Disposal Committee, a certificate of disposal in Form-10 shall be prepared in triplicate and signed by the Chairman and Members of the Drug Disposal Committee.

(2) The original copy of the certificate of disposal shall be pasted in the godown register after making necessary entries to this effect, the duplicate copy shall be retained in the seizure case file and the triplicate copy shall be kept by the Drug Disposal Committee.

28. Communication to Narcotics Control Bureau. - (1) The Head of the Department of each Central drug law enforcement agency and State drug law enforcement agency shall submit a quarterly report in Form-11 to the Narcotics Control Bureau giving details of action taken for disposal of narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances and conveyances under section 52A of the Act.

(2) The return for a quarter shall be submitted before the last day of the month following that quarter.

Explanation. - For the removal of doubts, it is hereby clarified that for the purpose of sub-rule (2) the expression "quarter" shall be January to March, April to June, July to September and October to December of every year.

CHAPTER IV

MISCELLANEOUS

29. Repeal and savings. - (1) The Standing Order No. 1/88, dated the 15th March, 1988, Standing Order No 2/88, dated the 11th April, 1988, issued by the Narcotics Control Bureau, Standing Order No. 1/89, dated the 13th June, 1989, issued by the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, number G.S.R.339(E), dated the 10th May, 2007 and the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, number G.S.R.38(E), dated the 16th January, 2015 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken or purported to have been done or taken under any of the Standing Order or notification repealed by sub-rule (1) shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of these rules, be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of these rules.

[F. No-N-16011/07/2018-NC-II]

VINOD KUMAR, Director

FORM-1

[See rule 5(1)]

[To be prepared in duplicate]

Forwarding Memorandum to Godown by the Seizing Officer

1. NDPS Crime No. [as per crime and prosecution register under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985)]
2. Name and address of the accused
3. Place, Date and Time of Seizure
4. Description (physical properties) of items in each sealed package / container
5. Results of test done, if any, by drug detection kit
6. Quantity in each sealed package / container
7. No. of packages / containers, material wise, containing similar material
8. Total Number of Packages / Containers
9. Total Number of Conveyances
10. Description of each conveyance, such as type, make, manufacturer name, colour, etc., alongwith identification number associated with each conveyance, such as registration number, engine number, chasis number, etc.
11. Description of animal used as conveyance

Place:
Date:
Time:

Signature of the Seizing Officer with Full Name,
Designation and official Seal

Endorsement by
Officer-in-charge of the Godown:

Signature
with Full Name and Official Seal

FORM-2

[See rule 5(2)]

Acknowledgement by Officer-in-charge of a Godown

Received ___ number of packages / containers and ___ number of conveyances, from _____, as per details in Form-1 duly signed by him and endorsed by the undersigned (Original copy of Form-1 retained and duplicate copy thereof is enclosed), and entered in godown register vide entry No. ____.

Place:
Date:
Time:

Signature of the Officer-in-charge of the Godown
with Full Name, Designation and official Seal

FORM-3

[See rule 6(2)]

Register of material received in Godown

Godown Register No.____	Name of the Officer-in-charge of the Godown
Year_____	

1. Godown Entry Sl. No:
2. NDPS Crime No:
3. Name/designation/address of the seizing / depositing officer:
4. Facsimile of the seal put on the packages / containers by the seizing officer:
5. Name and address of the accused:
6. Place, Date and Time of Seizure:
7. Date and time of deposit in godown:
8. Description (physical properties) of items in each sealed package / container:
9. Gross Quantity in each sealed package / container:
10. Net quantity after taking sample in the presence of the Magistrate:
11. No. of packages / containers, material wise, containing similar material:
12. Total Number of Packages / Containers:
13. Total Number of Conveyances:
14. Description of each conveyance, such as type, make, manufacturer name, colour, etc., alongwith identification number associated with each conveyance, such as registration number, engine number, chassis number, etc:
15. Description of animal used as conveyance:
16. Particulars of exit and re-entry for exhibiting in court:
17. Whether Magistrate has allowed the application moved under Section 52A (mention details):
18. Date and time of removal for disposal:
19. Certificate of destruction / disposal, as the case may be :
20. Remarks of the Inspecting Officer:

FORM-4

[See rule 8]

INVENTORY OF SEIZED MATERIAL

[Under sub-section (2) of Section 52A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985]

Case No.-----

Seizing agency: -----

Seizing officer: -----

Date of seizure: -----

Place of seizure: -----

Name and designation of the officer preparing this inventory: -----

TABLE

Sl. No.	Description of the items seized	Quality	Quantity	Mode of packing	Mark and numbers	Other identifying Particulars of seized items or packing	Country of origin	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Signature, name and designation of the officer

Certification by the Magistrate under sub-section (3) of section 52A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985

Whereas the above officer applied to me under sub-section (2) section 52A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 to certify the above inventory and sub-section (3) of that section requires any Magistrate to whom an application is made to allow the application as soon as may be, I, having been satisfied that the above inventory is as per the seizure documents and the consignments of seized materials related to the case presented before me, certify the correctness of the above inventory.

Signature, name and designation of the Magistrate

FORM-5

[See rule 8 and rule 18(1)]

APPLICATION FOR DISPOSAL OF SEIZED NARCOTIC DRUGS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, CONTROLLED SUBSTANCES AND CONVEYANCES UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION 52A OF NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES ACT, 1985

[Application to be made by the officer in-charge of a police station or an officer empowered under section 53 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 who has custody of the material seized under the said Act]

To

Learned Magistrate,

Sir,

Sub: Application for certification of correctness of inventory, photographs and samples of seized narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances and conveyances

1. All narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances and conveyances have been identified by the Central Government under section 52A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 as vulnerable to theft and substitution vide Notification No..... dated.....

2. As required under sub-section (2) of section 52 A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, I submit the enclosed inventory of seized material and request you to-

- (a) certify the correctness of the inventory;
- (b) permit taking, in your presence, photographs of the seized items in the inventory and certify such photographs as true; and
- (c) allow drawing of representative samples in your presence and certify the correctness of the list of samples so drawn.

3. I request you to allow this application under sub-section (3) of section 52 A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 so that the seized narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances or conveyances can thereafter be disposed of as per sub-section (1) of section 52A of the said Act retaining the certificate, photographs and samples as primary evidence as per sub-section (4) of section 52A.

Yours faithfully,

Signature, name and designation of the officer

Date:

**CERTIFICATE BY THE MAGISTRATE UNDER SUB-SECTION (3) OF SECTION 52A OF THE
NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES ACT, 1985**

I allow the above application under sub-section (3) of section 52A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and hereby, certify the correctness of the enclosed inventory, the enclosed photographs taken and the list of samples drawn in my presence.

Signature, name and designation of the Magistrate

Date:

FORM – 6
[See rule 13(2)]
TEST MEMO

Name and address of
the seizure organisation

=====

Section –I (for use by the Seizing Officer)

1. Crime No.
2. Name and Address of the Officer(s) drawing sample:
3. Name and address of the accused(s):
4. Alleged description of drug and
Weight of samples (net weight):
5. Date and time of seizure:
6. Place of Seizure:
7. Date of draw of sample:
8. No. of samples and marking on each of them for
identification:

9. (a) Description of Seal:
(b) No. of seal put on samples:

10. Facsimile of the seal:

Name and signature of the forwarding Officer

SECTION-II FOR USE IN THE LABORATORY

1. Date of receipt in the laboratory:
2. Weight (Net Weight) as found in the laboratory:
3. Date of conducting result of: -
 - (a) Qualitative Test:
 - (b) Quantitative Test:
 - (c) General observation of the Chemist:

Name and signature of the Chemist

FORM-7

[See rule 25]

CERTIFICATE OF DESTRUCTION

This is to certify that the following narcotic drugs, psychotropic substances and controlled substances, were destroyed in our presence-

1. Case No.
2. Narcotic Drug / Psychotropic Substance / Controlled Substance:
3. Seizing agency:
4. Seizing officer:
5. Date of seizure:
6. Place of Seizure:
7. Godown entry number:
8. Gross weight of the drug seized:
9. Net weight of the narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances destroyed (after taking samples, etc.):
10. Where and how destroyed:

Signature(s), name(s) and designation(s) of Chairman and Members of the Drug Disposal Committee.

FORM-8

[See rule 26(1)]

CERTIFICATE BY GOVERNMENT OPIUM AND ALKALOID WORKS

Reference No. _____

Date _____

This is to certify that the following narcotic drugs / psychotropic substances / controlled substances were received in the Government Opium and Alkaloid Works:

1. Case No:
2. Seizing agency:
3. Seizing officer:
4. Date of seizure:
5. Place of Seizure:
6. Godown entry number:
7. Detail of the Narcotic Drug / Psychotropic Substance / Controlled Substance received in the Government Opium and Alkaloid Works:-
 - (a) Name of the Narcotic Drug / Psychotropic Substance / Controlled Substance
 - (b) Net weight of the Narcotic Drug / Psychotropic Substance / Controlled Substance received (if more than one drug and/or substance, net weight of the each to be specified)
8. Receipt of the aforesaid Narcotic Drug / Psychotropic Substance / Controlled Substance has been entered in the register at Sl No. _____.

Signature, name, designation, office address of the officer authorised to sign this certificate as provided in rule 26.

FORM-9

[See rule 26 (2)]

REGISTER OF RECEIPT OF NARCOTIC DRUG / PSYCHOTROPIC SUBSTANCE / CONTROLLED SUBSTANCE TO BE MAINTAINED BY GOVERNMENT OPIUM AND ALKALOID WORKS

1. Sl No:
2. Case No:
3. Seizing agency:
4. Seizing officer:
5. Date of seizure:
6. Place of Seizure:
7. Godown entry number:
8. Name of the Narcotic Drug / Psychotropic Substance / Controlled Substance:

9. Net weight of the Narcotic Drug / Psychotropic Substance / Controlled Substance received (if more than one drug or substance, net weight of the each to be specified with consecutive serial number):

10. Reference No. and Date of the Certificate issued for receipt of the aforesaid Narcotic Drug/Psychotropic Substance/Controlled Substance:

Signature, name, and designation of the officer authorized to sign the certificate as provided in rule 26.

FORM-10

[See rule 27]

CERTIFICATE OF DISPOSAL

This is to certify that the following narcotic drugs, psychotropic substances, controlled substances, and conveyances were disposed of:-

1. Case No:
2. Seizing agency:
3. Seizing officer:
4. Date of seizure:
5. Place of Seizure:
6. Godown entry number:
7. Detail of the Narcotic Drug / Psychotropic Substance / Controlled Substance: -
 - (a) Name of the drug / substance:
 - (b) Gross weight of the drug / substance seized (if more than one drug or substance, gross weight of the each to be specified):
 - (c) Net weight of the drug / substance after taking samples (if more than one drug and/or substance, net weight of the each to be specified):
 - (d) Quantity transferred to Government Opium and Alkaloid Works:
 - (e) Reference No. and Date of the Certificate issued by Government Opium and Alkaloid Works:
 - (f) Quantity sold:
 - (g) Sale proceeds realised (in Rupees):
 - (h) To whom sold:
8. Detail of the conveyance: -
 - (a) Registration Number of the conveyance:
 - (b) Description of the conveyance (manufacturer, model, colour, etc. to be specified):
 - (c) Identification numbers of the conveyance, such as engine number, chassis number, etc., to be specified:
 - (d) Sale proceeds realised (in Rupees):
 - (e) To whom sold:

Signature(s), name(s) and designation(s) of Chairman and Members of the Drug Disposal Committee.

FORM-11

[See rule 28]

**QUARTERLY REPORT TO BE SUBMITTED BY
THE HEAD OF DEPARTMENT OF CENTRAL DRUG LAW ENFORCEMENT AGENCY/ STATE
DRUG LAW ENFORCEMENT AGENCY
TO THE NARCOTICS CONTROL BUREAU**

Report for the quarter ending _____ Date _____

Name and address of the law enforcement agency: _____

1. Number of cases at the beginning of the quarter
2. Number of new cases during the quarter
3. Total number of cases (1+2):
4. Out of the total number of cases at 3 above, number of cases where application has been moved under sub-section 2 of section 52A of the Act:
5. Number of cases where application moved under sub-section 2 of section 52A of the Act has been allowed under sub-section (3) of the said section 52A:
6. Out of the cases at 5 above, number of cases where seized material has been disposed of

Signature, name, designation, office address of the officer authorised by the Head of Department of Central Law Enforcement Agency/ State Law Enforcement Agency to sign this certificate.